न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 30/2024

1. विकास कुमार पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी ढुकिया का बास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू(राज.)

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता वादीः– श्री महेन्द्र कुमार नेमीवाल एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थना पत्र दायरी दिनांकः–21.05.2024

निर्णय दिनांक :–06.06.2024

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि वर्तमान खाता संख्या 15 के हाल खसरा नम्बर 176/167 रकबा 1.045 हैक्टर भूमि अवस्थित है।प्रार्थी के खेत की सीमा के नजदीक वाके ग्राम तौलीयासर की सीमा लगती है उक्त सीमा में चारागाह भूमि खसरा नम्बर 10, 108, 109, 245, 246, 248, 263, 482/480, 6, 7, 9 कुल किता 11 कुल रकबा 57.14 हेक्टर चारागाह भूमि अवस्थि है। उक्त भूमि में प्रार्थी के खेत की सींव से होकर एक काफी कदीमी प्रचलित रास्ता रहा है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व गांव के अन्य लोग करते आ रहे है। जिस पर अब ग्रेवल सडक भी गिर चुकी है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों की गलती एवं सहवन से उक्त रास्त राजस्व रिकार्ड के नजरी नक्शे में उक्त रास्ते से हटकर थोडी दूरी पर दर्शाया गया है जो कि गलत है जवकि मौके पर जो रास्ता है उस पर ग्रेवल सडक गिर चुकी है और वही रास्ता आम जन के लिए प्रचलित कदीमी रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व गांववासी कई वर्षों से करते आ रहे है। इसलिए उक्त चाराहाग भूमि के नक्शा ट्रेश को दुरूस्त कर उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार संशोधित किया जाने के आदेश प्रदान करें।प्रार्थी के खसरा नम्बर 176/167 के पूर्व सिरे के नक्शे में दर्ज रास्ते को मौके पर मौजूद व नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। उक्त प्रार्थना पत्र के लिए वाद कारण दिनांक 15/05/2024 को अपने भूमि का कनवर्जन करवाने के लिए तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया ओर उक्त भूमि का नक्शा निकलवाया तो उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर तहसीलदार महोदय को उक्त नक्शा दुरूस्त करने का निवेदन करने पर तहसीलदार महोदय मण्डावा द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उक्त नक्शा को दुरूस्त किया जाने के मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित राजस्व रिकार्ड नक्शें में दर्ज रास्ते को दुरूस्त कर मौके पर प्रचलित एवं नजरी नक्शे में दर्ज रास्ते के अनुसार दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण न से संलग्न जमाबन्दी के अनुसार ग्राम चन्द्रपुरा की वर्तमान जमावन्दी के खाता संख्या 15 खसरा नं 176/167 रकबा 1.045 हैक्टर विकास कुमार पुत्र दयानन्द जाति जाट नि. चन्द्रपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा ग्राम तोलियासर के जिस खसरा न. का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है उसा नम्बर 9 है। जिसका कुल रकबा 38.86 किस्म गैं–मु: चारागाह राजस्व रिसोर्ट में दर्ज है। ग्राम तोलियासर के खसरा नं. 9 में एक रास्ता राजस्व रिकार्ड में डबल डाटेड लाईन से है । खसरा न0 09 में उक्त रिकार्डेड डबल डाटेड रास्ते के अलावा समान्तार एक प्रचलित रास्ता चालू है जिस पर वर्तमान में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। उक्त खसरा न0 में दर्ज डबल डॉटेड रास्ता को प्रचलित रास्ता जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज किया जाना भूमि सुधार के रूप में उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख.न. 09 रकबा 38.86 हैक्टर किस्म गै.मु. चारागाह में दर्ज डबल डोटेड रास्ते के स्थान पर उक्त दर्ज डबल डोटेड के समान्तर वर्तमान प्रचलित रास्ता (जिस पर ग्रेवल सड़क निर्मित है) के अनुसार सिफट किया जाना उचित है। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय

अतः ग्राम तोलियासर के भूमि ख.न. 09 रकबा 38.86 हैक्टर किस्म गै.मु. चारागाह में दर्ज डबल डोटेड रास्ते के स्थान पर उक्त दर्ज डबल डोटेड के समान्तर वर्तमान प्रचलित रास्ता (जिस पर ग्रेवल सड़क निर्मित है) प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अनुसार बदलाव (Shift) जाता है। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा